

(12)

## भाग II

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या-.....

|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7- परियोजना/ स्कीम का स्थान                                                                                                                                                                                                     | जनपद-सिद्धार्थनगर में राज्य मार्ग संख्या-75 (बेवा-इटवा-डुमरियागंज मार्ग) के कि०मी० 0.00 से 42.00 तक एवं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-233 (बस्ती-बांसी मार्ग) के कि०मी० 65.60 से कि०मी० 46.00 तक कुल कि०मी० 61.60 एव 0.6492 हे० वन भूमि में मार्गों की बायीं पटरी पर भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने की अनुमति के सम्बन्ध में। |
| (i) राज्य/संघ शासित क्षेत्र                                                                                                                                                                                                     | उत्तर प्रदेश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (ii) जिला                                                                                                                                                                                                                       | सिद्धार्थनगर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (iii) वन प्रभाग                                                                                                                                                                                                                 | सा०वा० वन प्रभाग सिद्धार्थनगर                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (iv) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर में)                                                                                                                                                         | 0.6492 हे०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (v) वन की कानूनी स्थिति                                                                                                                                                                                                         | संरक्षित वन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (vi) हरियाली का घनत्व                                                                                                                                                                                                           | 0.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (vii) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाये) सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ० आर०एल०.एफ०आर०एल०-2 मीटर पर परिगणना और एफ०आर०एल०-4 मीटर भी (संलग्न की जाये)                    | संलग्न है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (viii) भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।                                                                                                                                                           | कोई भूक्षरण नहीं होगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (ix) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन सीमा से अनुमानित दूरी।                                                                                                                                                         | प्रस्तावित क्षेत्र मार्ग के किनारे का भाग है।                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (x) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव, अभ्यारण्य, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर आदि का भाग हैं। (यदि हां, क्षेत्र का ब्योरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबन्धित की जाये)                          | नहीं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (xi) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन / विशिष्ट प्रजातियाँ पायी जाती है यदि हां/तो तत्सम्बन्धी ब्योरा दे।                                                                                                | नहीं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (xii) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा संक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो, तो दें। | नहीं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8- प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम-2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं, तो जांचे गये विकल्पों के ब्योरों के साथ मदवार संस्तुति क्षेत्र क्या है।                           | अपरिहार्य एवं न्यूनतम है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 9- क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हां/नहीं) यदि हां, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्योरा दें। क्या उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे हैं।                         | लागू नहीं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10-प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा<br>(i) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अबकमित वन क्षेत्र, आस-पासके वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार। | सचिव उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या-3544/14-2-2008 लखनऊ दिनांक 23 अगस्त 2008 के अनुपालन में केवल एक ही बार जनपद आगरा में फत्तेपुर-शमशाबाद-आगरा एवं इरादतनगर मार्ग कुल लम्बाई 20 कि०मी० पर वृक्षारोपण कार्य हेतु रु०-10900000/- (एक करोड़ नौ लाख मात्र) ड्राफ्ट सं०-300246, दिनांक 08.11.2013 को प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग आगरा में याचक विभाग द्वारा जमा करा दिया गया है। (प्रति संलग्न है) |
| (ii) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर/अबकमित वन क्षेत्र, और आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।                                                                                 | संलग्न है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (iii) रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेन्सी, समय अनुसूची लागत ढाँचा आदि।                                                                   | संलग्न है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (iv) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय                                                                                                                                      | संलग्न है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (v) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय)   | संलग्न है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11- जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम-7 (Xi, Xii) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुये (संलग्न करें)                                                    | संयुक्त स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 12- विभाग/जिला प्रोफाइल                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (i) जिले का भौगोलिक क्षेत्र                                                                                                                                                                 | 2895 वर्ग किमी०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (ii) जिले का वन क्षेत्र                                                                                                                                                                     | 3052.218 हे०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (iii) मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र                                                                                                              | (क) आरक्षित वन क्षेत्र- 3.41 हे० (30 मामले)<br>(ख) संरक्षित वन क्षेत्र- 133.12 हे०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (iv) 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण                                                                                                                                 | 1-213.21 हे० आरक्षित वन क्षेत्र तथा 100 पौधों का रोपण।<br>2-47.17 हे० संरक्षित वन क्षेत्र तथा 600 पौधों का रोपण ब्रिकगार्ड में रोपण।                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि                                                                                                                                           | शून्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (ख) वनेत्तर भूमि पर                                                                                                                                                                         | शून्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (v) प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी प्रगति                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (क) वन भूमि पर                                                                                                                                                                              | 208.95 हे० आरक्षित वन क्षेत्र<br>45.17 हे० संरक्षित वन क्षेत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (ख) वनेत्तर भूमि पर                                                                                                                                                                         | रिक्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 13- प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश                                                                                     | प्रस्ताव को स्वीकृत करने की संस्तुति की जाती है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

दिनांक-

स्थान- सिद्धार्थनगर।

हस्ताक्षर **प्रभागीय निदेशक**  
नाम- **सामाजिक वानिकी वन प्रभाग**  
सरकारी मुद्रा **सिद्धार्थनगर**